जिला नहीं बनाने से गुड़ामालानी क्षेत्र की जनता में रोष

गुड़ामालानी, (निसं)। बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी तहसील कार्यालय के सामने जिला संघर्ष समिति गुड़ामालानी की ओर से चलाई जा रही गुड़ामालानी को जिला बनाने की मांग एवं सरकार द्वारा गठित राम लुभाया कमेटी ने गुड़ामालानी को जिला बनाने का प्रस्ताव को प्रमाणित माना है। इसके बाद भी जिला नही बनाया गया। संघर्ष समिति ने बुधवार को बैठक आयोजित कर उपखंड अधिकारी गुड़ामालानी प्रमोद कुमार चौधरी एवं नायब तहसीलदार गुड़ामालानी लक्ष्मी चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

गुड़ामालानी जिला संघर्ष समिति बैठक को संबोधित करते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने कहा कि जिला संघर्ष समिति ने जिला बनाने कि मांग पहले से उठाई गई थी। गुडामालानी में विकास को लेकर हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा । गुड़ामालानी जिला बनाने कि पेरवी सही तरीके से नहीं करने के कारण आज हम पिछे रहे हैं । किसान नेता प्रहलाद सियोल ने कहा कि जब - जब गुड़ामालानी कि जनता ने मांग रखी वो पुरी हुई । ऐसे में व्यापार मंडल एवं आमजन का सहयोग अति आवश्यक है । भाजपा नेता अमराराम बेनीवाल ने समय निकालकर आये सभी व्यापारियों एवं ग्रामीणो को धन्यवाद दिया। बैठक में आए कही जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने सम्बोधित कर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष दलाराम बटेसर,भाजपा नेता अमराराम बेनीवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन,पहलाज सियोल,सुरेश बोथरा, अशोकसिंह राजावत रिडमलराम देवासी, डॉ. अचलाराम चौधरी, दुर्गादास वैष्णव, हिमताराम आचार्य, किसान नेता खेताराम चौधरी एवं जिला संघर्ष समिति अध्यक्ष रिडमलराम चौधरी,शंकरलाल सुदेशा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

खेड़ापा रामद्वारा में धार्मिक कार्यक्रम

पाली, (नि.सं.)। कैरिया दरवाजा स्थित खेड़ापा रामद्वारा में संत सुजन दास महाराज के सानिध्य में निर्मल दास महाराज की 200 वी बरसी पर कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर दर्जनों संत गण श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां खेड़ापा से महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज का पाली पहुंचने पर स्वागत किया गया। दोपहर में महिला संगीत का आयोजन हुआ। जिसमें भक्ति भजन गाए गए, शाम को रामद्वारा में संध्या आरती तपनाम संतो द्वारा किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। जिसमें सैकडों लोगों ने लाभ उठाया। रात्रि में भजन कार्यक्रम के साथ महंत पुरुषोत्तम दास जी का प्रवचन हुआ। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदाचार का जीवन जीना चाहिए और नशा मुक्त होकर समाज को सनातन धर्म पर चलने का आ ान किया। आज के युग में हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए उसका पालन करें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान संबंधित जानकारी दी

जोधपुर, (कासं)। ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का उपयोग वहीं किया जाएगा जहां मतदाताओं की संख्या ज्यादा होगी और जरूरत महसूस होगी। बैलेट बॉक्स की तुलना में ईवीएम से चुनाव करवाना ज्यादा खर्चीला है। यह कहना है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का। वे आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकायों के उपचुनाव में अधिकांश जगह पर बैलट बॉक्स का ही उपयोग किया जाएगा। गुप्ता यहां संभाग स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेने आए थे। उन्होंने कहा कि छोटे चुनाव में ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्च इतना अधिक आता है कि बैलेट बॉक्स से चुनाव करवाना काफी सस्ता लगता है। उन्होंने कहा कि तकनीक होना अच्छी बात है लेकिन उसका अनावश्यक उपयोग नहीं कर सकते। ईवीएम से चुनाव कराने में उसकी जांच और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ही काफी महंगा पड़ता है। चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए उन्होंने जिला स्तर और खंड स्तर पर सभी निर्वाचन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एफिडेविट की जांच करते समय ही अपराध की जानकारी होने पर प्रत्याशी को रोक देना चाहिए। यदि कोई गलत एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जा सकता है।

जोधपुर में 21 वार्ड पंच और 3 सरपंचों के उपचुनाव होने हैं। 21 पंचायत समितियों में सभी अलग-अलग वार्ड पंच उपचुनाव में चुने जाएंगे ऐसे में यहां हर एक जगह ईवीएम पहुंचाना खर्चीली प्रक्रिया हो सकती है।

सिर्फ एक बूथ पर ही वोटिंग होगी: उपचुनाव में एक पंचायत समिति में सिर्फ एक बूथ पर ही वोटिंग होगी। ऐसे में ईवीएम की जांच करवाने के लिए बेंगलुरु से कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाना पड़ता है। साथ ही जिला मुख्यालय से मतदान स्थल तक ईवीएम को ले जाने और वापस लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी लगता है। जबकि बैलेट बॉक्स को स्थानीय एसडीएम कार्यालय या ग्राम पंचायत में भी रखा जा सकता है। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने ऐसे तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की छंटनी करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए हैं। जिससे कि ईवीएम की प्रारंभिक जांच स्थानीय स्तर पर की जा सके और बाहर से कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाने का खर्च बच जाए।

बिरला 25 को जोधपुर आएंगे

जोधपुर, (कासं)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को जोधपुर आएंगे। इसके बाद वे बाद में नागौर और जयपुर आएंगे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष बिरला 25 मार्च को सुबह 7 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर हवाई मार्ग से सुबह 8.20 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। वे सुबह 11 बजे केरू में आयोजित आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर नवनिर्मित बालिका विद्यालय के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे।

दोपहर 1.15 बजे वे हेलीकॉप्टर से नागौर जिले के कालवी गांव जाएंगे, जहां वे दिवंगत समाजसेवी लोकेंद्र सिंह कालवी के परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे।

लोक सभा अध्यक्ष बिरला का कालवी से कुचामन जाने का भी कार्यक्रम हैं, जहां वे दिवंगत पूर्व विधायक हरीश कुमावत के परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदना जताएंगे।

वहां से बिरला शाम 4.15 बजे जयपुर पहुंचंगे जहां वे जेएलएन मार्ग पर आरएएस क्लब में आरएएस एसोसिएशन के 16 वें सम्मेलन में भाग लेंगे। बिरला शाम 6 बजे से राजभवन में प्रबुद्धजन से भेंट करेंगे।

वे रात 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

रंगोली सजाई

पाली, (नि.सं.)। भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2080 शहर में धूमधाम से मनाया गया, जिसको लेकर शहर के सभी चौराहे पर रंगोली सजाई गई। वही विभिन्न विद्यालयों द्वारा चौराहों पर झांकियां सजाई गई। जिसमें राम लक्ष्मण, लव कुश, दुर्गा लक्ष्मी नवदुर्गा शिव पार्वती ,गणेश , गणगौर ईश्वर भारत माता का रूप धरकर नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों द्वारा घोष वादन भी किया गया। भारतीय नववर्ष समिति की ओर से सूरजपोल चौराहे पर कार्यक्रम रखा।

अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की

जोधपुर, (कासं)। जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार के निर्देशानुसार जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने नियमित रूप से अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों, सडक भाग के अतिक्रमणों, पार्किंग के ईतर निर्मित बहुमंजिला इमारतों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की। प्राधिकरण दस्ते ने ग्राम जोधपुर, ग्राम सालोडी एवं प्राधिकरण की विवेक विहार आवासीय योजना में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों पर कार्यवाही की।

प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि आयुक्त नवनीत कुमार के निर्देशानुसार दस्ते द्वारा ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 632/3 का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीमेंट की ईंटों की दीवार निर्मित पायी गई एवं एक लोहे का कंटेनर रखा हुआ पाया गया। दस्ते द्वारा अप्रार्थियों को सख्त हिदायत दी गई कि उक्त खसरें में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित होने से उक्त भूमि पर प्राधिकरण की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण व अन्य गतिविधियां नहीं करें।

प्रवर्तन अधिकारी दक्षिण अमरसिंह रतनू ने बताया कि सचिव जयनारायण मीणा के निर्देशानुसार जेडीए दस्ते द्वारा विवेक विहार आवासीय योजना के निरीक्षण के दौरान योजना में प्रस्तावित बस स्टैण्ड की भूमि पर घुमन्तु जनजाति के व्यक्तियों द्वारा झुग्गी-झोपडियां बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। जेडीए दस्ते द्वारा मौके पर झुग्गी-झोपडियां को रस्सीयां व त्रिपाल खोलकर एवं बल्लियों, कांटों की बाड इतयादि अनाधिकृत अतिक्रमणों को हटाया गया। दस्ते ने मौके पर उपस्थित अतिकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण नहीं करें।

प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत, पटवारी जोन 5 नरेन्द्रसिंह मय जेडीए दस्ते द्वारा ग्राम सालोडी का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण की लगभग 45 बीघा भूमि पर तारबंदी, कांटों की बाड, फाचरों की दीवार, छीणें व चापें लगाकर एवं बाड बनाकर अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा था। दस्ते ने अग्रिम कार्यवाही के लिए मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर

प्रधान कार्यालय : हरिदेव जोशी सर्किल के पास, जालोर-343001

Email: headoffice@jalorebank.com Contact No. 9461440881

क्रमांक/जा.ना.स.बैंक/15346 दिनांक 22/03/2023

निविदा सूचना

बैंक को अपनी शाखा उम्मेदाबाद के नवीन भवन हेतु निम्नानुसार फर्नीचर एवं फिटिंग के कार्य हेतु पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मो/कम्पनियों (GST Firm) से निविदा आमंत्रित की जाती है। अत: इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मो/कम्पनियों (GST Firm) अपनी निविदा मय विवरण सील बंद लिफाफे में दिनांक 05.04.2023 बुधवार सांय 4.00 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय में प्रेषित करें। शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी के लिए बैंक की वेबसाईट www.jalorebank.com का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. (जालोर)

जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर

प्रधान कार्यालय : हरिदेव जोशी सर्किल के पास, जालोर-343001

Email: headoffice@jalorebank.com Contact No. 9079806434

क्रमांक/जा.ना.स.बैंक/15341 दिनांक 22/03/2023

निविदा

जालोर नागरिक सहकारी बैंक के स्वयं के भवन संख्या सीपी 03, औद्योगिक क्षैत्र तृतीय चरण शाखा जालोर के भूतल हॉल में ग्रेनाईट वॉलड्राप फिटिंग कार्य हेतु अनुभवी फर्म/ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है। अत: इच्छुक फर्म/ठेकेदार अपनी निविदा मय विवरण सील बन्द लिफाफे में दिनांक 05.04.2023 को सांय 4.00 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय में प्रेषित करें। शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी के लिए बैंक की वेबसाईट www.jalorebank.com का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. (जालोर)

IndianOil | Bharat Petroleum | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HP | स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान में एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल). भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) राजस्थान प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं:

क्र. सं.	तेल कंपनी	स्थान का नाम	ग्राम पंचायत	उपखंड	ब्लॉक	जिला	श्रेणी**	मार्केट का प्रकार/एलपीजी वितरण – शहरी/रुर्बन/ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	प्रतिभूति राशि (₹ लाख में)	विपणन योजना
शहरी/रूर्बन वितरकों की लोकेशन										
1	बीपीसीएल	बीकानेर	लागू नहीं	लागू नहीं	बीकानेर	बीकानेर	ओपन	शहरी	5	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
ग्रामीण वितरकों की लोकेशन										
1	आईओसीएल	पचार	पचार	लागू नहीं	दातारामगढ़	सीकर	ओबीसी	ग्रामीण वितरक	3	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
2	आईओसीएल	बसई नवाब	बसई नवाब	लागू नहीं	सेपऊ	धोलपुर	एससी	ग्रामीण वितरक	2	निरस्त किए गए वितरक के विरूद्ध विज्ञापित
3	एचपीसीएल	रायपुर	रायपुर	लागू नहीं	रायपुर	पाली	ओपन (महिला)	ग्रामीण वितरक	4	2022–23
दुर्गम क्षेत्रीय वितरकों के लिए स्थान										
1	आईओसीएल	चितावा	चितावा	नावा	कुचामन सिटी	नागौर	ओपन	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	2022–23
2	आईओसीएल	बाकनपुरा	बाकनपुरा	किशनगंज	किशनगंज	बाराँ	ओपन	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	निरस्त किए गए वितरक के विरूध्द विज्ञापित
3	बीपीसीएल	धुंधाड़ा	धुंधाड़ा	लूनी	लूनी	जोधपुर	ओपन (महिला)	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	2022–23

** प्रयुक्त नामावली इस प्रकार से है :–

ओपन – खुली श्रेणी
एससी/एसटी – अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी
ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
ओपन (महिला) – महिलाएँ जो खुली श्रेणी में आती हैं।

1. एलपीजी वितरक के चयन हेतु पात्रता मापदंड एवं विस्तृत दिशानिर्देश, एलपीजी गोदाम/एलपीजी गोदाम के लिए भूमि की आधारभूत संरचना सम्बन्धी आवश्यकताओं, शोरूम हेतु भूमि/तैयार शोरूम, सिलेंडरों की होम डिलीवरी के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि सहित चयन प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एलपीजी वितरकों के चयन के लिए विवरणिका में दी गयी है, जिसे किसी भी तेल कंपनी अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल की वेबसाइट **www.iocl.com, www.bharatpetroleum.in, www.hindustanpetroleum.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। विवरणिका वेबसाइटः **www.lpgvitarakchayan.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है।
2. शहरी वितरक, रूर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक या दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (जो भी लागू हो) के तौर पर चयन हेतु आवेदन करने के इच्छुक तथा पात्रता–मापदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्ति वेबसाइटः **www.lpgvitarakchayan.in** पर लॉग ऑन कर स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत होने पर उन्हें वेबसाइट पर लॉग इन कर सभी संदर्भों में अपेक्षित विवरणों को भरना होगा तथा दिनांक **24.04.2023** को या इससे पहले 17:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व, उम्मीदवारों के अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतिलिपियाँ अलग–अलग फाइलों में अपलोड करनी होगी, तथा वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड सुविधा के माध्यम से लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। शहरी वितरक, रूर्बन, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का विवरण नीचे तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है।

तालिका 1 – शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक स्थानों के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 10,000 (दस हजार रूपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 5,000 (पांच हजार रूपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 3,000 (तीन हजार रूपये मात्र)

**विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लेखित शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक स्थानों के अंतर्गत ओपन श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 3000 (तीन हजार रुपये मात्र) जमा करा सकते हैं। उन्हें आवेदन संख्या और प्रासंगिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या प्रस्तुत करनी होगी जिसे सत्यापित किया जाएगा । यदि बाद में यह पाया जाता है कि विवरण भारत सरकार के ऑनलाइन रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं किंतु ओपन श्रेणी के स्थानों के लिए आवेदन कर रहे हैं, को ओपन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

तालिका 2 – ग्रामीण वितरक स्थानों तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थानों के अंतर्गत, के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 8,000 (आठ हजार रूपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 4,000 (चार हजार रूपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 2,500 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

**ओपन श्रेणी ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थानों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 2500 (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) जमा करा सकते हैं। तथापि, वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं किन्तु "ओपन श्रेणी" के स्थानों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए विवरणिका देखें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध 'आवेदकों के लिए यूजर मैन्युअल–एलपीजी वितरक चयन' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, जब तक मांगा ना जाए, किसी भी कार्यालय में कोई भी दस्तावेज या आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भौतिक रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में, यदि लॉट्स के ड्रॉ में उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो चयनित उम्मीदवार को सत्यापन के समय लागू निर्धारित पात्रता संबंधी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। रक्षा कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों का विवरण के फील्ड सत्यापन के समय महानिदेशालय पुनर्स्थापन (डीजीआर) से जारी मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरणिका देखें।
5. **सामान्य**

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के पास कोई भी कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

ख) आवेदक को एक स्थान के लिए केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए। यदि एक स्थान के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा किए जाते हैं, तो सभी आवेदन एक साथ मिला दिए जाएंगे और इन्हें कंप्यूटर द्वारा ड्रॉ की तारीख के प्रयोजन के लिए एक आवेदन के तौर पर लिया जाएगा। इन मामलों में अन्य सभी आवेदनों के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क ज़ब्त कर लिया जाएगा।

ग) जबकि आवेदक अलग अलग स्थानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रत्येक स्थानों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के जरिए किया जाए और प्रत्येक मामले में लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दिया जाए।

घ) यदि आवेदन पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना छुपाई गई हो/गलत रूप से पेश की गई हो/गलत या झूठी पाई जाती है जो पात्रता पर प्रतिकूल असर डालती हो तो आवेदन पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी जाएगी और संबंधित तेल विपणन कंपनी को दिया गया अप्रतिदेय आवेदन शुल्क/प्रतिभूति जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। ऐसे मामले में आवेदक/डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित ऑयल कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

ङ) यह केवल संभावित आवेदकों से आवेदन पत्र मांगने के लिए एक विज्ञापन/अधिसूचना मात्र है और यह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने का प्रस्ताव नहीं है।

च) सभी पत्राचार वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** द्वारा आवेदक के पंजीकृत ई–मेल आईडी या पंजीकृत फोन पर ई–मेल अथवा एसएमएस द्वारा किया जाएगा।

छ) यह पूर्णतः एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है तथा इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम हैं और यह किसी प्रकार की निश्चित आय अथवा लाभ की गारंटी नहीं देता।

ज) यदि अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञापन में कोई विसंगति (यदि कोई है) पाई जाती है, तो साथ ही स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा संस्करण में बताई गई जानकारी/निर्देश मान्य होंगे।

झ) यदि वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** और इसके साथ इस विज्ञापन/अधिसूचना में आने वाले विवरणों में कोई विसंगति होती है तो इस प्रकाशित विज्ञापन/अधिसूचना के विवरण माने जाएंगे।

ञ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., आवेदक के बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से किसी राशि की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जो संबंधित तेल कंपनी के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित अथवा जमा नहीं की गई है।

ट) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. एक आवेदन के लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन की गई किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो उसके बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से किए गए हैं।

ठ) कनेक्टिविटी समस्या, साइट की अनुपलब्धता और बैंक से संबंधित मुद्दों के कारण ऑनलाइन आवेदन जमा करने में किसी भी देरी के लिए ओएमसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव | G20

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
वेबसाइटः www.beeindia.gov.in दूरभाषः 011-26766700

कृपया ध्यान दें: 14 अधिसूचित क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोगकर्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के तहत ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा के सभी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता-वर्ग, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों के विरुद्ध दर्शाई गई विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ई), का.आ.394 (ई) दिनांक 12 मार्च, 2007, का.आ. 3542 (ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2015, का.आ.1388(ई) दिनांक 02 मई, 2017 और का.आ. 2147 (अ) दिनांक 17 जून, 2020 का.आ. 3445 (ई) दिनांक 28 सितंबर, 2020, का.आ. 4165 (ई) दिनांक 07 सितंबर, 2022 के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

क्र. सं.	अधिसूचित क्षेत्र	मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष ऊर्जा की न्यूनतम खपत
1.	एल्यूमिनियम	7,500
2.	सीमेंट	
	(क) एकीकृत सीमेंट यूनिट	30,000
	(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	10,000
3.	वाणिज्यिक भवन या स्थापनाएं	
	(क) होटल	500
	(ख) हवाई अड्डा	500
4.	क्लोर–अल्कली	12,000
5.	विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)	एस ई आर सी/जे ई आर सी द्वारा सभी लाइसेंस प्राप्त वितरण कंपनियां
6.	उर्वरक	30,000
7.	लौह और इस्पात	20,000
8.	लुगदी और कागज	20,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरियां	90,000
10.	पेट्रोरसायन यूनिटें जिनमें गैस क्रैकर या नेफ्था क्रैकर या दोनों शामिल हों	1,00,000
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रैक्शन)	70,000
	(ख) कार्यशालाएं	750
	(ग) रेलवे की 8 उत्पादन फैक्टरियां नामतः आईसीएफ आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू पीएलडब्ल्यू आरडब्ल्यूएफ, एमसीएफ और आरडब्ल्यूपी	-
12.	वस्त्र	3,000
13.	थर्मल पॉवर स्टेशन	30,000
14.	पेट्रोकेमिकल विनिर्माण इकाइयां	
	(1)फाइबर इंटरमीडिएट	50,000
	(2) पॉलिमर	10,000
	(3) डिटर्जेंट इंटरमीडिएट	9,000
	(4) परफोर्मेंस प्लास्टिक	3,000
	(5) अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद	6,000
	(6) सिंथेटिक रबर	15,000
	(7) सुगंध	20,000

केंद्र सरकार द्वारा का.आ.1409(ई) दिनांक 28 मार्च, 2018, का.आ. 1473(ई) दिनांक 29 मार्च, 2019, का.आ. 1254(ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2020, का.आ. 4491(ई) दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 का.आ. 4552 (ई) दिनांक 26 सितंबर, 2022, को संबंधित नामित एजेंसी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को एक प्रति के साथ, वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों अर्थात् 2021.22 और 2022.23 की रिपोट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ठ) के तहत अधिसूचित प्रपत्र–1 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

आवश्यक क्षेत्र लागू प्रो.फॉर्मा या प्रपत्र.1 की एक प्रति बीईई वेबसाइटः **https://beeindia.gov.in/content/pat-performa** से डाउनलोड की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक वार्षिक खपत आदि की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत दंड का भागी होगा।

अधिक जानकारी/प्रश्न के लिए कृपया हमसे 011.26766700 पर संपर्क करें या **newdc@beeindia.gov.in** पर मेल भेजें।

CBC 34106/12/0024/2223 मिशन निदेशक, एनएमईईई